न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 287/2021

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2021/555

प्रार्थीनीगण		विप्रार्थी
1.लीलादेवी पत्नि केसाराम 2.लक्ष्मीदेवी पत्नि जुगताराम 3.सुआ पत्नि बालाराम जाति जाट निवासी कोरणा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.विशनाराम पुत्र सरूपाराम 2.मूलाराम पुत्र सरूपाराम 3.मीरोदेवी पुत्री सरूपाराम 4.सीतादेवी पत्नि सरूपाराम 5.भीखीदेवी पत्नि सरूपाराम 6.पुनमाराम पुत्र लालाराम 7.लिखमाराम पुत्र लालाराम 8.रतनाराम पुत्र लालाराम 9.बाबुराम पुत्र लालाराम 10.भवुताराम पुत्र चुतराराम 11.ओमाराम पुत्र चुतराराम 12.राजोदेवी पत्नि चुतराराम 13.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री पुनमाराम चौधरी,प्रार्थीनीगण अधिवक्ता

2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02

3.विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 13 एकपक्षीय

:निर्णयः

दिनांक– 25.08.2025

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनीगण 1.लीलादेवी पत्नि केसाराम 2.लक्ष्मीदेवी पत्नि जुगताराम 3.सुआ पत्नि बालाराम जाति जाट निवासी कोरणा तहसील पचपदरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 296 रकबा 14.06 बीघा भूमि मौजा कोरणा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी का खसरा संख्या 295 व 297 भूमि में से नजरी नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शित मार्क ए से बी तक 13 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीनीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

02. प्रार्थीनीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रार्थीनीगण के आवेदन को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थीनीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 13 तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल हैं।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में उभय–पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीनीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीनीगण के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी का खसरा संख्या 295 व 297 मौजा कोरणा में से प्रार्थीनीगण के खातेदारी खेत संख्या 296 तक चौड़ा रास्ता 13 फिट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीनीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया गया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीनीगण को आपति नहीं है।

04. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनीगण का आवेदन मनगढन्त तथ्यो के आधार पर होने के कारण प्रार्थीनीगण का आवेदन चलने योग्य नही है। क्योकि प्रार्थीनी खसरा संख्या 294 की खातेदार सभी प्रार्थीनीगण नही है,बलिक खसरा संख्या 294 रकबा 2.06 बीघा की खातेदार लीलादेवी पत्नि केसाराम,खसरा संख्या 1750/294 रकबा 2.06 बीघा की खातेदार लक्ष्मीदेवी व खसरा संख्या 1751/294 रकबा 2.07 बीघा की खातेदार सुआदेवी है। इस प्रकार मूल रकबा 6.19 बीघा का कोई अस्तित्व नही है। खसरा संख्या 296 रकबा 14.06 बीघा मे आवागमन का रास्ता पड़ोस खसरा संख्या 295 व 329 के सेढा सेढे से होता आगे खसरा संख्या 328 की तरफ आता है,जो मौके पर चालू हालात मे है। जिस पर आवागमन चालू है,इसलिए नये रास्ता की आवश्यकता नही है,इसके अतिरिक्त यदि खसरा संख्या 295 व 297 मे से रास्ता प्राप्त किया जाना है,तो वर्तमान फोरम मे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है,क्योकि प्रार्थीनीगण ने खसरा संख्या 294 का भाग खसरा संख्या 295 व 297 से मिलना बताया है,जबकि रेकर्ड मे ऐसा नही है,खसरा संख्या 294 की तरमीम कटाण सड़क पर है। खसरा संख्या 294 व 295 के बीच खसरा संख्या 1750/294,1751/294 अवस्थित है,जिसमे से कोई रास्ता नही चाहा गया है। यदि खसरा संख्या 294 से खसरा संख्या 296 मे आवागमन हेतु रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कटाण घोषित करवाना चाहती है,तो पहले खसरा संख्या 298 किस्म गै.मु.रास्ता से लगातार खसरा संख्या 294,1750/294 व 1751/294 मे रास्ता घोषित करना अनिवार्य है,उसके बाद खसरा संख्या 295 व 297 मे से दिया जा सकता है। अतः प्रार्थीनीगण का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

05. हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीनीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 295 व 297 में से 13 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जरिए अधिवक्ता जवाब पेश कर प्रार्थीनीगण के आवेदन तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब कर प्रार्थीनीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 13 ने जवाब पेश नही कर निर्धारित प्रारूप मे मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीनीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

06. तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्र क्रंमाक 346/04.3.2022 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थीनीगण को खसरा संख्या 295 व 297 मे रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट पर विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर बाद सुनवाई विप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त मौका रिपोर्ट को आदेश दिनांक 15.6.2022 के द्वारा अस्वीकार की गई तथा विवादित आराजी की दुबारा मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया गया।

07. तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्र क्रमांक 210/08.8.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय हाजा को उपलब्ध करवाए गए। रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 295,297 व 296,1750/294 मे से बरंग लाल रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त ही दिए जाने की अनुशंषा की गई है।

08. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीनीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

8 चूंकि प्रार्थीनीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 296 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीनीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीनीगण द्वारा सिद्ध किया गया हैं। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनीगण के लिए आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प बताया है,इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित रास्ता ही दिया जाना उचित है। उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित बरंग लाल अनुसार रास्ता उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीनीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीनीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

9 उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 295 मे 0.00.10 हैक्टयर,खसरा संख्या 297 मे 0.00.10 हैक्टयर,खसरा संख्या 296 मे 0.00.10 हैक्टयर व खसरा संख्या 1750/294 मे 0.00.10 हैक्टयर रास्ते हेतु कुल रकबा 0.00.40 हैक्टयर भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर की प्रति बीघा 22,406/–की दुगूनी प्रतिकर हेतु देय कुल राशि–4488/– अक्षरे चार हजार चार सौ अठासी रूपये बनती है,जिसको प्रार्थीनीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीनीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीनीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा ग्राम कोरणा तहसील पचपदरा प्रार्थीनीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 296 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 295 मे 0.00.10 (दस बिस्वासी) लम्बाई 8 गढा,चौड़ाई 01 गढा,खसरा संख्या 297 मे 0.00.10 (दस बिस्वासी) लम्बाई 8 गढा,चौड़ाई 01 गढा ,खसरा संख्या 296 मे 0.00.10 (दस बिस्वासी) लम्बाई 8 गढा,चौड़ाई 01 गढा व खसरा संख्या 1750/294 मे 0.00.10 (दस बिस्वासी) लम्बाई 8 गढा,चौड़ाई 01 गढा संलग्न नक्शानुसार मार्क बरंग लाल अनुसार भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 4488/–(अक्षरे चार हजार चार सौ अठासी) रूपयें की राशि विप्रार्थी को मौका रिपोर्ट मे वर्णित हिस्सेनुसार भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीनीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
25/08/2025

निर्णय आज दिनांक 25/8/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
25/08/2025